न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 04 / 2024

श्री महावीर खंण्डेलवाल निवासी 22 आदर्श मौहल्ला सूचना केन्द्र के पीछे भीलवाडा राज0 पिन 311001 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 19.03.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

संयुक्त खातेदारी की भूमि जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2673 के खाता संख्या 158, 226 के खसरा संख्या 331 एवं 1293, 338, 342, 594 की भूमि वाके ग्राम चन्दलाई पटवार हल्का चन्दलाई तहसील एवं जिला टोंक राज0 में श्री लादूलाल पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति महाजन निवास चन्दलाई के हिस्से की भूमि में वर्ष 1996 के पश्चात राजस्थान सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक फसल खराबा पर जारी की गई राशि का सम्पूर्ण ब्यौरा दिलावे एवं यदि यह रकम देय की गई तो किसे दी गई सभी कागजात दिलावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक को पत्र क्रमांक 99 दिनांक 12.02.2024, 145 दिनांक 22.02.2024 व 248 दिनांक 06.3.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा

आवेदित सूचना / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)